भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

कैलाश, मानसरोवर, 133-140, पटेल मार्ग, जयपुर

फोन/फैक्स : 0141-2396523 ई-मेल : circlejai.asi@gmail.com

प्रस्तुति सहायक - शिव कुमार भगत एवं आर.पी. माथुर

प्रकाशन

विश्व धरोहर सप्ताह (19-25 नवम्बर, 2010) के अवसर पर

भारत सरकार

राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक

रणथम्भौर दुर्ग

सैय्यद जमाल हसन

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

कैलाश, मानसरोवर,

133-140, पटेल मार्ग, जयपुर

फोन/फैक्स : 0141-2396523 ई-मेल : circlejai.asi@gmail.com

राजस्थान के विश्व धरोहर

वेधशाला (जन्तर-मन्तर), जयपुर, सन् 2010

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, भरतपुर, सन् 1985

सन् 1972 में संयुक्त-राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा करना था। सार्वभौम महत्व के ऐसे स्मारक/स्थान जो अपनी ऐतिहासिकता तथा अद्वितीयता के कारण महत्वपूर्ण हैं तथा उपयुक्त देख-रेख के अभाव में नष्ट होते जा रहे थे, यूनेस्को ने इन्हें सूचीबद्ध कर, उनका संरक्षण एवं परिरक्षण करना अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का परम कर्तव्य माना। इस प्रस्ताव पर 146 देशों की सहमति प्राप्त हुई जिनमें भारत भी सक्रिय सदस्य है। भारत अन्य संस्थानों यथा- अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा परिरक्षण एवं पुनरुद्धार अध्ययन केन्द्र के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारत 1985 से विश्वदाय समिति का निर्वाचित सदस्य है तथा समिति की प्रगति में नियमित रूप से अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। यूनेस्को द्वारा सम्पूर्ण विश्व में 911 स्मारक/स्थल संरक्षित किये गये हैं जिनमें 704 सांस्कृतिक स्थल, 180 प्राकृतिक स्थल तथा 27 अन्य स्थल सम्मिलित हैं। इनमें भारत के 23 सांस्कृतिक स्थल तथा 5 प्राकृतिक स्थल भी स्थान रखते हैं।

ये सांस्कृतिक स्थल हैं- अजन्ता, ऐलोरा एवं ऐलीफेन्टा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र), चांपानेर-पावागढ़ (गुजरात), आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश), सूर्य मंदिर कोणार्क (उड़ीसा), गोवा के गिरजाघर एवं मठ (गोवा), महाबलीपुरम मन्दिर समूह, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, गंगईकोन्डचोलपुरम एवं दारासुरम (तमिलनाडु), पट्टडकल स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह (कर्नाटक), खजुराहो मंदिर समूह, सांची के बौद्धस्मारक, भीमबेटका शैलचित्र (म.प्र. प्रदेश), हुमायूं का मकबरा, लालकिला परिसर, कुतुबमीनार तथा इससे परिसर में स्थित स्मारक (दिल्ली), बोधगया मंदिर (बिहार), जैसलमेर (जंतर-मंतर), जयपुर (राजस्थान), कालका-शिमला रेल (हिमाचल प्रदेश), दार्जीलिंग हिमालयन रेल (प0 बंगाल) तथा प्राकृतिक स्थलों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (आसाम), सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (प0 बंगाल), नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी (उत्तरांचल) सम्मिलित हैं।

राजस्थान राजाओं, किलों, महलों, मंदिरों, विभिन्न वेश-भूषाओं, मेलों एवं त्यौहारों, अपनी विलक्षण वास्तुकला तथा असंख्य पुरातात्विक स्मारकों/स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस महान विभिन्नता के सांस्कृतिक संग्रह में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, पूर्व ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक स्थल, उत्खनित स्थल तथा अवशेष, हिन्दू और जैन मंदिर, बौद्ध गुफाएं तथा मीनारें, कुंड, बांध, घाट तथा बावड़ी, बाग, मण्डप तथा तोरण, आदमकद एकाश्म मूर्तियां तथा स्तम्भ, उत्कीर्ण लेख तथा भित्तिचित्र आदि शामिल हैं। पूरे राज्य में पूर्व में धौलपुर से पश्चिम में जैसलमेर तथा उत्तर में गंगानगर से दक्षिण में बांसवाड़ा तक फैले कुल 160 स्मारकों तथा स्थलों का रख-रखाव तथा परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जयपुर मंडल द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वदाय सप्ताह/दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें न केवल छात्र परन्तु आम जनता को भी पुरातात्विक स्मारकों/स्थलों, संग्रहालयों तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित करने हेतु सम्मिलित किया जाता है। छायाचित्र प्रदर्शनियों, स्मारकों के रख-रखाव में छात्रों के योगदान विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं, चित्रांकन प्रतियोगिताओं तथा स्मारकों/स्थलों का विवरण उपलब्ध कराती पुस्तिकाओं के वितरण के माध्यम से बड़े स्तर पर सांस्कृतिक जन-जागरूकता उत्पन्न की जाती है ताकि वर्तमान पीढ़ी अपने धरोहरों के संरक्षण हेतु सचेत रहे तथा इसे सुरक्षित रूप में भावी पीढ़ी को सौंप सके।

रणथम्भौर दुर्ग

रणथम्भौर का दुर्ग भारत के सर्वाधिक सुदृढ़ दुर्गों में से एक है जिसने शाकम्भरी के चाहमान साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। यह कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जयंत ने पांचवीं शती ई० में किया था। 12 वीं शती ई० में पृथ्वीराज चौहान के आगमन तक यहां यादवों ने शासन किया। हम्मीरदेव (सन् 1282–1301ई०), रणथम्भौर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने कला एवं साहित्य को प्रश्रय दिया एवं सन् 1301 ई० में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया। इसके बाद किले पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। तत्पश्चात यह राणा सांगा (सन् 1509–1527 ई०) तथा उसके उपरान्त मुगलों के नियन्त्रण में रहा जिन्होंने अन्ततः इसे कछवाहा राजपूतों को सौंप दिया।

यह दुर्ग रणथम्भौर व्याघ्र अभयारण्य के ठीक मध्य में स्थित है तथा यह वन दुर्ग का एक आदर्श उदाहरण है। सवाईमाधोपुर जंक्शन रणथम्भौर पहुंचने का निकटस्थ रेलवे स्टेशन है। विशाल रक्षा प्राचीर से सुदृढ़ इस दुर्ग में प्रवेश हेतु सात द्वार– नवलखा पोल, हथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सात पोल, सूरज पोल एवं दिल्ली पोल हैं। दुर्ग के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों में हम्मीर महल, रानी महल, हम्मीर की बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, बालीस–खंभा छतरी, जाजरा–भांजरा (अन्न–भंडार), मस्जिद, मकबरा एवं हिन्दू मंदिरों के अतिरिक्त एक दिगम्बर जैन मंदिर तथा एक दरगाह स्थित है। उपर्युक्त स्मारकों में गणेश मंदिर स्थानीय लोगों की सर्वाधिक आस्था का केन्द्र है।

नवलखा गेट:- दुर्ग में प्रवेश करने हेतु पैदल यात्रियों का एकमात्र प्रवेशद्वार है। अन्य द्वारों के समान इस प्रवेशद्वार में भी तीन द्वारों की एक क्रमबद्ध शृंखला है। द्वारों के दोनों ओर सुरक्षा प्रहरियों के लिए चौकी बनी हुई है।

हथिया पोल:- दक्षिण–पूर्व की ओर अभिमुख यह दूसरा प्रवेशद्वार 3.20 मीटर चौड़ा है, तथा जहां एक ओर यह प्राचीर से जुड़ा है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक चट्टान से आबद्ध है। इस द्वार के ऊपर प्रहरियों के लिए एक आवतांकार कक्ष बना हुआ है।

गणेश पोल:- यह तीसरा द्वार दक्षिणाभिमुख है तथा 4. 10 मीटर चौड़ा है। इस द्वार के ऊपर स्थित धरण टोड़ों पर आधारित है जिसके ऊपर एक मेहराब का प्रावधान है। इस द्वार का पूर्वी सिरा एक खड़े चट्टान से जुड़ा है।

अंधेरी पोल :- यह उत्तराभिमुख अन्तिम प्रवेशद्वार है जिसकी चौड़ाई 3.30 मीटर है। यह दोनों तरफ रक्षा प्राचीर से जुड़ा है। इसके बनावट में तत्कालीन विशिष्ट प्रकार के मेहराब तथा प्रक्षेपित दीर्घाओं का प्रयोग किया गया है।

दिल्ली द्वार :- यह द्वार दुर्ग के उत्तर–पश्चिमी कोने पर स्थित है। उत्तराभिमुख इस द्वार की चौड़ाई 4.70 मीटर है। इस मेहराबदार प्रवेशद्वार में सुरक्षा–प्रहरियों के निवास हेतु अनेक कक्ष निर्मित हैं।

सतघोल :- दुर्ग के पश्चिमी हिस्से में स्थित दक्षिणाभिमुख यह प्रवेशद्वार सर्वाधिक विशाल है तथा इसकी चौड़ाई 4.70 मीटर है। इस द्वार पर सुरक्षा प्रहरियों के लिए दो मंजिले कक्षों की व्यवस्था है।

सूरजपोल :- दुर्ग के पश्चिमी भाग में बना यह प्रवेशद्वार तुलनात्मक रूप से छोटा है तथा इसकी चौड़ाई 2.10 मीटर है। यह पूर्वाभिमुख है।

दरगाह गेट :- यह प्रवेशद्वार काज़ी पीर सदरुद्दीन दरगाह के निकट स्थित है। बादल महल परिसर में जाने का यह मुख्य प्रवेशद्वार है। इसकी चौड़ाई 2.75 मीटर है तथा यह पूर्वाभिमुख है। अनगढ़ित पाषाणखण्डों से बना यह एक मेहराबदार द्वार है जिसके ऊपर चूने का पलस्तर किया गया है।

हम्मीर महल :- रणथम्भौर के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हम्मीर देव के नाम पर स्थापित यह महल एक भग्न स्मारक है जिसमें प्रवेश हेतु उत्तर की ओर एक मेहराबदार द्वार

बना हुआ है। इसका पश्चिमी भाग तीन मंजिलों वाला है जबकि अन्य भाग केवल एक मंजिला ही है। इसके अतिरिक्त उत्तर–पूर्वी कोने में एक भूमिगत मंजिल भी है। भूतल वाले मंजिल में कई कक्ष बने हैं जो एक दूसरे से छोटे–छोटे दरवाजों द्वारा जुड़े हैं। ये सभी कक्ष एक सामान्य बरामदे में खुलते हैं। बरामदे की छत सादे एवं अलंकरणहीन स्तम्भों पर आधारित है। महल का पूर्वी हिस्सा प्रक्षेपित दीर्घाओं से सुसज्जित है। इसके पहले मंजिल तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक चढ़ाई वाला एक मार्ग बना हुआ है। सम्पूर्ण परिसर की छत बलुआ पत्थरों की पट्टिकाओं से निर्मित है जो पत्थर के बने धरनों पर आधारित है। इसकी दीवारें अनगढ़ित पाषाणखण्डों द्वारा बनाई गई हैं जिसके ऊपर चूने का पलस्तर किया गया है। इस महल को बनवाने का श्रेय हम्मीरदेव (1283–1301 ई0) को जाता है।

रानी महल :- हम्मीर महल के निकट स्थित यह एक भव्य भवन परिसर है। इसके परिसर के भीतर अनेकानेक संरचनाएं विद्यमान हैं पर उनमें से अधिकतर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। लाल बलुए पत्थर से निर्मित इसका प्रवेशद्वार अत्यंत प्रभावशाली है।

बादल महल :- यह एक विशाल दो मंजिला भवन है। इसमें कई कक्ष हैं जो एक सामान्य बरामदे से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक खुला प्रांगण है। ये सभी कक्ष लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित हैं जिनके ऊपर चूने का पलस्तर चढ़ा दिया गया है। इन कक्षों में एक नृत्यकक्ष भी है जो स्तम्भों पर आधारित है तथा इसमें दोहरे मेहराबों का प्रयोग हुआ है। एक अन्य सभा भवन में सुंदर चित्रकारी के साथ–साथ विविध अलंकरण अभिप्रायों को प्रस्तुत किया गया है।

रघुनाथ जी का मंदिर :- पश्चिमाभिमुख इस मंदिर में एक खुला प्रांगण, एक बंद प्रांगण एवं एक गर्भगृह सह प्रदक्षिणापथ की योजना है। गर्भगृह के पार्श्वों में एक–एक कक्ष तथा बरामदा संलग्न है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया है

जैन मंदिर :- मूलतः इस मंदिर में एक खुला मंडप तथा एक गर्भगृह की योजना थी। कालांतर में इसमें काफी बदलाव किये गये तथा खुले मंडप को ईंटों की जालियों से बन्द कर दिया गया। इस मंडप के तीन तरफ स्तम्भयुक्त बरामदे निर्मित हैं। गर्भगृह के ऊपर शिखर विद्यमान है। दुर्भाग्यवश 07–08 जनवरी सन् 1979 को यहां से दो प्राचीन प्रतिमाओं की चोरी हो गयी। इस समय संभवनाथ की ध्यानमुद्रा वाली एक आधुनिक प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है।

अन्नपूर्णा मंदिर :- यह मंदिर दक्षिणाभिमुख है तथा एक ऊंचे अधिष्ठान पर बना हुआ है। इसकी योजना में एक गर्भगृह, एक मण्डप तथा एक अर्द्धमण्डप सम्मिलित है। इसकी छत समतल है। गर्भगृह में एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मण्डप की दो पार्श्व दीवारों पर पत्थर की बनी एक–एक दृश्यपट्टिकाएं लगी हैं जिनमें पक्षियों एवं पुष्पों के साथ–साथ मरगोल की सज्जा उत्कीर्ण की गई है। अर्द्धमण्डप के बायें स्थित एक स्तम्भ पर देवनागरी लिपि में एक अभिलेख उत्कीर्ण है जिसकी तिथि विक्रम संवत–1898 (1841 ई0) है।

काज़ी पीर सदरुद्दीन की दरगाह :- यह एक गुम्बदयुक्त संरचना है जिसमें प्रवेश हेतु मेहराबदार द्वार बने हैं। दक्षिण–पश्चिम की ओर अभिमुख इस स्मारक के भीतर सात कब्रें स्थित हैं। कक्ष के भीतर इसके चारों कोनों पर चार आले बने हैं तथा ऊपर गुम्बद में भी चार वातायन हैं जिनमें पत्थर की जालियां लगी हैं। इस दरगाह के सामने एक चबूतरा है जिसमें अन्य कई कब्रें स्थित हैं। पहले यहां एक अत्यन्त महत्वपूर्ण फारसी शिलालेख विद्यमान था जिसमें इस दरगाह के निर्माता का उल्लेख किया गया था। दुर्भाग्यवश यह अभिलेख अब चोरी हो चुका है।

हम्मीर कचहरी :- दुर्ग के उत्तर–पश्चिम कोने में स्थित यह भवन दिल्ली द्वार के निकट स्थित है। यह संरचना एक ऊंचे अधिष्ठान पर बना है तथा उत्तराभिमुख है। इसकी योजना में

19.5 x 11.90 मीटर की माप वाला एक केन्द्रीय कक्ष है जिसके दोनों पार्श्वों में एक–एक आयताकार कक्ष संलग्न है। केन्द्रीय कक्ष की छत अनेक स्तम्भों पर आधारित है। ये स्तम्भ दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं। स्तम्भों की यह व्यवस्था सम्पूर्ण कक्ष को पन्द्रह भागों में विभाजित कर देती है। पार्श्व में स्थित कक्षों की छतें समतल न होकर ढलवां हैं। हम्मीरदेव (1283–1301 ई0) को इस भवन का निर्माता माना जाता है।

बत्तीस खम्भा छतरी :- हम्मीर महल के निकट स्थित यह संरचना त्रिस्तरीय वेदिका पर बनी है। इसके 12.5 X 12.5 मीटर की परिमाप वाले सबसे ऊपरी मेधि की छत 32 (बत्तीस) स्तम्भों पर आधारित है। ये स्तम्भ दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं जिनमें से बाह्य पंक्ति में 16 तथा आंतरिक पंक्ति में चार–चार स्तम्भ प्रत्येक ओर लगाये गये हैं। इन स्तम्भों का आधार वर्गाकार है, मध्य भाग अष्टकोणीय है तथा ऊपर शीर्ष की योजना है। इसके बरामदे की छत समतल है

जबकि केन्द्रीय भाग की छत गुम्बदनुमा है। केन्द्रीय गुम्बद के साथ ही उसके चारों पार्श्व में पुनः तीन-तीन छोटे गुम्बद भी बने हैं। मूल/प्रधान गुम्बद के आंतरिक अष्टकोणीय भाग में विविध प्रकार के वानस्पतिक अभिप्रायों के साथ-साथ गणेश एवं वेणुगोपाल की आकृतियों का अंकन किया गया है। इस संरचना की तिथि 18वीं शती ई० निर्धारित की जाती है।

जोंरा एवं भोंरा :- बत्तीस खम्भा छतरी के निकट स्थित ये दो कक्ष वस्तुतः अन्नागार हैं। इनमें ऊपर जाने के लिए ढलवां रास्ते बने हैं तथा कक्षों की छत पर बड़े छिद्र निर्मित हैं ताकि कक्षों में भंडारण हेतु ऊपर से अनाज डाला जा सके। अन्नों को निकाले जाने हेतु नीचे द्वार बने हैं।

गणेश मंदिर:- स्थापत्य कला की दृष्टि से इस मंदिर की बनावट आधुनिक है तथा बिल्कुल प्रभावहीन है। मंदिर के भीतर एक बड़े चट्टान पर भगवान गणेश का सिर एवं सूंड को उत्कीर्ण किया गया है। स्थानीय लोगों में यह रनत भंवर के नाम से प्रसिद्ध है तथा रणथम्भौर दुर्ग में स्थित मंदिरों में यह सर्वाधिक श्रद्धा का केन्द्र बन गया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।

शिव मंदिर:- यह एक लघु देवालय है तथापि दुर्ग स्थित मंदिरों में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां हम्मीरदेव ने अपना मस्तक काट कर शिव को अर्पित कर दिया था।

उपरोक्त वर्णित स्मारकों के अतिरिक्त भी रणथम्भौर दुर्ग में अन्य कई संरचनाएं हैं जिनमें रानीकुंड, सुपारांगा, एक अर्द्धनिर्मित बत्तीसखम्भा छतरी, छोटी कचहरी, लक्ष्मीनारायण मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, पर्चोरी महल, दुल्हा महल एवं मस्जिद आदि प्रमुख हैं। जोगी महल, मिश्रदार द्वार तथा कतिपय मस्जिद एवं मकबरे जो दुर्ग के बाहर स्थित हैं, भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं।

रजत जयन्ती समारोह

जयपुर मण्डल, जयपुर

रजत जयंती समारोह एवं स्वतंत्रता दिवस– 15 अगस्त 2010 के अवसर पर श्री जगतपति जोशी (भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) स्मृति सभागार का उद्घाटन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हीरा जोशी के कर कमलों द्वारा "कैलाश" मानसरोवर स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय प्रांगण में किया गया ।

रघुनाथ मंदिर संरक्षण के पूर्व

रघुनाथ मंदिर संरक्षण के पश्चात्

हाथी पोल संरक्षण के क्रम में

हाथी पोल संरक्षण के पश्चात्

सलपोल द्वार सं. 1 एवं 2
का मध्य भाग
संरक्षण के क्रम में

सलपोल द्वार सं. 1 एवं 2
का मध्य भाग
संरक्षण के पश्चात्

सलपोल द्वार संख्या 2 व 3
का मध्यभाग
संरक्षण के क्रम में

सलपोल द्वार संख्या 2 व 3
का मध्यभाग
संरक्षण के पश्चात

स्थल मानचित्र निर्देशक पट्ट

चेतावनी पट्ट

सुझाव/शिकायत पेटी

स्मारक निर्देशक पट्ट

स्मारक निर्देशक पट्ट

सांस्कृतिक सूचना पट्ट

सामान्य सूचना पट्ट

मार्ग निर्देशक पट्ट

जागरूकता पट्ट

जैन मन्दिर संरक्षण के क्रम में

जैन मन्दिर संरक्षण के पश्चात्

सतपोल द्वार संरक्षण के क्रम में

सतपोल द्वार संरक्षण के पश्चात्

सतपोल द्वार संरक्षण के क्रम में

सतपोल द्वार संरक्षण के पश्चात्

विश्वदाय–सप्ताह

19–25नवम्बर 2010

प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)–2010

भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)–2010 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक / स्थल व या उनकी सीमाओं से 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण / खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा किया गया निर्माण अवैध एवं असंवैधानिक माना जायेगा। इससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। विनियमित क्षेत्र में निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है तथा बिना पूर्वानुमति के किया गया निर्माण / खनन अवैध माना जायेगा।

प्राचीन संस्मारक से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, मकबरा, इमामबाड़ा, ईदगाह, हमाम, कर्बला, किला, प्राचीन कुएं (बावड़ी), ऐतिहासिक तालाब व घाट, महल, हवेली, धर्मशालाएं, प्राचीन द्वार, मानव निर्मित गुफाएं, स्तम्भ, उत्कीर्ण प्रतिमाएं, छतरियां, स्मृति स्मारक, स्तूप, विहार, उत्खनित स्थल, उत्कीर्ण लेख, प्राचीन पुल, वैधशाला, कोस मीनार, एकाश्मक तथा ऐसी संरचना जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हो। पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष से तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्राचीन टीला / क्षेत्र जिनमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के अवशेष होने की संभावना हो।

पुरावशेष से तात्पर्य है कि कम से कम एक सौ वर्ष प्राचीन कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे प्राचीन सिक्के, अस्त्र–शस्त्र, प्रतिमायें, पुराभिलेख, चित्रकारी, कलात्मक शिल्पकारी, ताम्रपत्र आदि। पाण्डुलिपियां जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा कलात्मक महत्व की हों और कम से कम 75 वर्षों से अधिक प्राचीन हों, भी पुरावशेष के अन्तर्गत आती हैं।

पुरावशेषों के पंजीकरण हेतु मण्डल कार्यालय में पंजीयन–अधिकारी से सम्पर्क कर नियमानुसार आवेदन करके पुरावशेषों का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यह कानूनन आवश्यक है।

संरक्षित स्मारक

यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 के 24) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विरूप अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम , 2010 के अन्तर्गत दो वर्ष तक का कारावास या रु 1,00,000 (एक लाख) तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1959 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर का क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण खनन की अनुमति नहीं है तथा इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र घोषित है जहां भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा नव निर्माण सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है